न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/588

1/1. पनसूरी पत्नी बजरंगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम फतहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
1/2. रामदेव पुत्र बजरंगा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
1/2/1. ओम प्रकाश पुत्र रामदेव ।
1/2/2. प्रसन्न बाई पत्नी रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम फतहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
1/3. गोपी पुत्र बजरंगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम फतहगंज ।
1/4. जगदीश पुत्र बजरंगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम फतहगंज ।
2. सुन्दरा पुत्र रूघा जाति कुम्हार निवासी फतहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभू पुत्र छीतर जाति कुम्हार निवासी फतहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मोहन पुत्र छीतर ।
3. शंकर पुत्र छीतर ।
4. गुलाब बाई पत्नी छीतर ।
5. बादाम बाई पुत्री छीतर ।
6. राज0 सरकार द्वारा जिलाधीश बून्दी ।
7. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 31.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.08.2002 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार

घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 97 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 481 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 599 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 657 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 599/912 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार वादीगण हैं और 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 2 हैं । इसी अनुरूप उक्त भूमि पर पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है । सेटलमेंट ने राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर वादीगण कम 1 लगायत 3 के पिता छीतर का नाम अंकित कर रखा था तथा यह भूमि वादीगण की अपने पितामह के समय ही होने से वादीगण के पिता व वादीगण की पैतृक सम्पत्ति थी और इस भूमि 1/2 के खातेदार कृषक वास्तव में वादीगण के पिता व वादीगण थे । वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सुन्दरा का पिता रूघा व प्रतिवादी बजरंगा थे और इसी प्रकार सेटलमेंट के समक्ष इनका इस भूमि में हिस्सा 1/2 होने का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था । सेटलमेंट अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का वादीगण कम 1 लगायत 3 के पिता श्री छीतर व वादीगण का नाम दर्ज करते तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी सुन्दरा के पिता रूघा व बजरंगा का नाम अंकित करते किन्तु इसके बजाय सेटलमेंट अधिकारियों ने प्रतिवादी सुन्दरा के पिता रूघा व बजरंगा से मिलकर गैर कानूनी अनाधिकृत व फर्जी रूप से सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 की रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 481 की रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 599 की रकबा 12 बीघा कुल 04 किता की कुल रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी सुन्दरा के पिता रूघा व प्रतिवादी बजरंगा को खातेदार कृषक के रूप में अंकित कर दिया । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावें

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को हिस्से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक लगान भी कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम, 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन 46 वर्ष पूर्व पारिवारिक सहमति से हो चुका है और उसी अनुसार पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का अथवा उनके पूर्वज छीतर का कोई हिस्सा नहीं था वह विगत 45 वर्षो से प्रतिवादीगण कम 1व 2 का उनके पूर्वजों रूघा व बजरंगा के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और वे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी के खातेदार बन चुके हैं । अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.08.2002 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.08.2002 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 17.04.2003 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में पेश किये गये दस्तावेजात को परीक्षण न्यायालय द्वारा परीक्षण/विश्लेषण कर, पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

7. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2003 से व्यथित होकर वादीगण रेस्पोडेन्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 25.09.2017 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2003 को निरस्त कर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की ।

8. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.09.2017 की पालना में अपील अपीलान्ट पुनः रजिस्टर की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रिकॉर्ड पेश किया था । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2007 से 2011, पंचशाला खसरा नम्बर 364, 464, 487/2 एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 24.08.1956 पेश किये हैं । परीक्षण न्यायालय ने विधि–विरूद्ध निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी कुल 58 बीघा के लगभग थी जिसके बाबत् 40 वर्ष पहले पारिवारिक सहमति से बंटवारा हो गया था । उक्त बंटवारे में खसरा नम्बर 657 व 659 तथा 599/912 की कुल 18 बीघा 05 बिस्वा आराजी छीतर को बंटवारे में प्राप्त हुई शेष भूमि रूघा व बजरंगा को प्राप्त हुई । राजस्व रिकॉर्ड में अंकन विभाजन के अनुरूप हो रहा है । पारिवारिक विभाजन वादी रेस्पोडेन्ट एवं उनके पूर्वजों की सहमति से हुआ है । पारिवारिक विभाजन में वादीगण रेस्पोडेन्ट को 18 बीघा 05 बिस्वा दी गई है जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हो रहा है । वादीगण रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों ने 40 वर्ष में कभी भी पारिवारिक सहमति से हुए विभाजन पर कोई आपत्ति नहीं की है । इसके बावजूद छीतर के वारिसान ने 1/2 हिस्सा बाबत् वाद प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार उन्हें 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.08.2002 निरस्त फरमया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1975 पेज 118, आरआरडी 1972 पेज 75, आरआरडी 1969 पेज 213, आरआरडी 1994 पेज 607, आरआरडी 1991 पेज 428 उद्धरत की ।

10. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

11. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल पर्चा खतौनी संवत 2000 संलग्न है जिसमे अनुसार ग्राम फतेहगंज में खसरा नम्बर 63 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, ख्सरा नम्बर 247 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 405 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 464 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा भूमि में छीतर वल्द घीस्या 1/2 हिस्सा, रूघा व बजरंगा पि0 कालू हिस्सा 1/2 दर्ज है, परन्तु जमाबन्दी की कुल योग में किता 03 कुल रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा ही अंकित किया हुआ है, जबकि कुल किता 04 खसरा नम्बरों का अंकन होने से कुल रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा बनता है । इस प्रकार नकल जमाबन्दी अस्पष्ट है । नकल जमाबन्दी पंचसाला संवत् 2007 से 2011 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2001 से 2005 संलग्न है । नकल नामान्तरकरण संख्या 35 संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या 107 की किता 02 कुल रकबा 27 बीघा 09 बिस्वा भूमि रूघा, कालू के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, परन्तु उक्त दस्तावेज में केवल रकबा 27 बीघा 09 बिस्वा ही अंकित है उक्त रकबा किन–किन खसरा नम्बरों से यह अंकित नहीं है । नकल भू–प्रबन्ध विभाग खसरा परिशोधन पत्र संलग्न है जिसके अनुसार खातेदारान रूघा, बजरंगा ने साक्ष्य किया कि चचेरा भाई छीतर है हम लोग अलग–अलग रहते हैं और अलग–अलग काश्त करते हैं इसलिए मुताबिक कब्जा खसरा नम्बर 97, 191, 481, 599 रूघा, बजरंगा के व 599/912, 657, 659 छीतर के नाम दर्ज किया जावे इसकी साक्ष्य पटेलान, मेम्बरान व सरपंच, उप सरपंच ने की है का अंकन है जिस पर सभी खातेदारान एवं गवाहान के अंगूठा निशानी एवं हस्ताक्षर हैं । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 से 2047 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 संलग्न है जिसके अनुसार फतेहगंज की आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 481 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 599 रकबा 12 बीघा कुल 04 किता की 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि सुन्दर लाल वल्द रूघा हिस्सा 1/2, रामदेव, गोपीलाल, जगदीश पिता बजरंगा व मु0 पंसूरी बेवा बजरंगा हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज है । उक्त दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ हैं तथा प्रकरण से प्रासंगिक हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होता है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा निहित है जो लगभग 29 बीघा होती है परन्तु दौराने सेटलमेंट प्रतिवादी अपीलान्ट को 39.15 बीघा भूमि तथा वादी रेस्पोडेन्टगण को 18.05 बीघा भूमि विभाजित कर पृथक खाते में दर्ज कर दी । सेटलमेंट से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी में वादी रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो नकल जमाबन्दी संवत् 2007 से 2027 तक के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन से साबित है । प्रतिवादी अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी का पूर्व में पक्षकारान के मध्य हुए पारिवारिक बंटवारे का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । सेटलमेंट विभाग को राजस्व

रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । सेटलमेंट ने राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण अंकन किया है । वादग्रस्त आराजी में वादी रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा निहित है और वे अपना 1/2 हिस्सा विभाजन में प्राप्त करने के अधिकारी हैं । पर्चा खतौनी सन् 1933–34 में रूघा को शिकमी दर्ज किया गया है जो अस्थायी काश्तकार की श्रेणी है उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार संयुक्त खाते में दर्ज है । नामान्तरकरण से स्वत्व अधिकारों का निर्णय नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.08.2002 खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 1999 पेज 481, आरआरडी 1996 पेज 228, आरबीजे 2019 पेज 196 उद्धरत की ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में वादी की ओर से नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2028 से 2047 प्रदर्श– 1 पेश किया है । नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध प्रदर्श– 2 पेश किया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 प्रदर्श– 3 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम फतेहगंज की आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 247 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 364 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 487 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा कुल 05 किता की कुल रकबा 56 बीघा 06 बिस्वा भूमि रूघा, बजरंगा पिसरान कालू हिस्सा 1/2, छीतर वल्द घीस्या हिस्सा 1/2 दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 प्रदर्श– 4 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम फतेहगंज की आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 481 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 599 रकबा 12 बीघा कुल 04 किता की 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि रूघा, बजरंगा पिसरान कालू के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 प्रदर्श– 5 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम फतेहगंज की खाता संख्या नया 97 में आराजी खसरा नम्बर 657 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 599 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रभू, मोहन, शंकर पिसरान छीतर के खाते में दर्ज है तथा खाता सख्या 199 नया में खसरा नम्बर 97 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 481 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 599 रकबा 12 बीघा कुल 04 किता की रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि सुन्दर लाल वल्द रूघा हिस्सा 1/2, रामदेव, गोपीलाल, जगदीश पिसरान बजरंगा व मु0 पंसूरी बेवा बजरंगा हिस्सा 1/2 के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2028 से 2047 प्रदर्श– 6 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम फतेहगंज की आराजी खसरा नम्बर 657 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 599/912 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि छीतर पुत्र घासी के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 प्रदर्श– 7 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम फतेहगंज में खाता संख्या 100 में आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 247 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 364 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा कुल 05 किता की रकबा 56 बीघा 06 बिस्वा आराजी रूघा, बजरंगा पिता कालू हिस्सा 1/2, छीतर वल्द घीस्या हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी पंचसाला संवत् 2007 लगायत 2012 प्रदर्श– 8 पेश किया है जिसके

अनुसार ग्राम फतेहगंज की आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 247 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 405 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि रूघा, बजरंगा पिसरान कालू हिस्सा 1/2, छीतर वल्द घीस्या हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2022 से 2025 प्रदर्श– 9 पेश किया है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2018 से 2021 प्रदर्श– 10 पेश किया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 प्रदर्श– 11 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम फतेहगंज की आराजी खसरा नम्बर नम्बर 63 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 247 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 364 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा कुल 05 किता की रकबा 56 बीघा 06 बिस्वा आराजी रूघा, बजरंगा पिता कालू हिस्सा 1/2, छीतर वल्द घीस्या हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2022 से 2025 प्रदर्श– 12 पेश किया है । वादी की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 प्रदर्श– ए–1 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम फतेहगंज की आराजी खाता संख्या 97 नया में खसरा नम्बर 657 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 599/912 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रभू, मोहन, शंकर पि0 छीतर के खातेदारी में दर्ज है ।

14. परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से बयान मोहन पीडब्ल्यू–1, किसना पीडब्ल्यू–2, कजोड पीडब्ल्यू–3 बयान कराये हैं ।

15. प्रतिवादी की ओर से बयान सुन्दर लाल डीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

16. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया जिसके साथ नकल जमाबन्दी पंचसाला संवत् 2007 से 2011 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 364 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 487/2 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 46 बीघा 12 बिस्वा भूमि रूघा वल्द कालू के खातेदारी में दर्ज है । नकल नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 24.08.1956 संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या 107 की रकबा 27 बीघा 09 बिस्वा भूमि रूघा, कालू के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति हुई है, उक्त नामान्तरकरण में खसरा नम्बर अंकित नहीं हैं । नकल नामान्तरकरण संख्या 107 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 464 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा भूमि रूघा वल्द कालू को खातेदार दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

17. वादीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित है । सेटलमेंट ने वादी का गलत हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज को परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट के वाद को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादीगण रेस्पोडेन्ट को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने का निर्णय पारित किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.08.2002 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्टगण ने न्यायालय हाज़ा में अपील प्रस्तुत

की जिसमें न्यायालय हाजा में अपने निर्णय दिनांक 17.04.2003 के द्वारा प्रस्तुत रिमाण्ड कर दिया और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात का परीक्षण /विश्लेषण कर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश पारित किया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2003 से व्यथित होकर वादीगण रेस्पोडेन्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपील स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2003 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश पारित किया । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपना निर्णय पारित करने का आदेश भी पारित किया है ।

18. प्रतिवादी अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में पारिवारिक समझौते से विभाजन हो गया था । उक्त विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले का बताया है परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में पारिवारिक सहमति से विभाजन हो गया हो । सेटलमेंट विभाग ने प्रतिवादीगण को 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि विभाजन में देकर खाता पृथक कर दिया और वादी रेस्पोडेन्ट को 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि बिभाजन में देकर खाता पृथक कर दिया । परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण रेस्पोडेन्ट के पिता/पति छीतर का 1/2 हिस्सा निहित है । न्यायालय हाजा में दिनांक 13.01.2003 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया जिसके साथ नकल जमाबन्दी पंचसाला संवत् 2007 से 2011 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 364 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 487/2 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 46 बीघा 12 बिस्वा भूमि रूघा वल्द कालू के खातेदारी में दर्ज है । नकल नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 24.08.1956 संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या 107 की रकबा 27 बीघा 09 बिस्वा भूमि रूघा, कालू के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति हुई है, उक्त नामान्तरकरण में खसरा नम्बर अंकित नहीं हैं । नकल नामान्तरकरण संख्या 107 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 464 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा भूमि रूघा वल्द कालू को खातेदार दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । इसके अलाावा अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया जिसमें नकल पर्चा खतौनी संवत 2000 संलग्न है जिसमे अनुसार ग्राम फतेहगंज में खसरा नम्बर 63 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, ख्सरा नम्बर 247 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 405 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 465 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा भूमि में छीतर वल्द घीस्या 1/2 हिस्सा, रूघा व बजरंगा पि0 कालू हिस्सा 1/2 दर्ज है । इस प्रकार कुल किता 04 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा होता है परन्तु जमाबन्दी में योग के स्थान पर कुल किता 03 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा अंकित किया हुआ है । नकल जमाबन्दी पंचसाला संवत् 2007 से 2011 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2001 से 2005 संलग्न है । नकल नामान्तरकरण संख्या 35 संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या 107 की किता 02 कुल रकबा 27 बीघा 09 बिस्वा भूमि रूघा, कालू के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई है । नकल भू–प्रबन्ध विभाग खसरा परिशोधन पत्र संलग्न है जिसके

अनुसार खातेदारान रूघा, बजरंगा ने साक्ष्य किया कि चचेरा भाई छीतर है हम लोग अलग–अलग रहते हैं और अलग–अलग काश्त करते हैं इसलिए मुताबिक कब्जा खसरा नम्बर 97, 191, 481, 599 रूघा, बजरंगा के व 599/912, 657, 659 छीतर के नाम दर्ज किया जावे इसकी साक्ष्य पटेलान, मेम्बरान व सरपंच, उप सरपंच ने की है का अंकन है जिस पर सभी खातेदारान एवं गवाहान के अंगूठा निशानी एवं हस्ताक्षर हैं । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 से 2047 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 संलग्न है जिसके अनुसार फतेहगंज की आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 481 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 599 रकबा 12 बीघा कुल 04 किता की 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि सुन्दर लाल वल्द रूघा हिस्सा 1/2, रामदेव, गोपीलाल, जगदीश पिता बजरंगा व मु0 पंसूरी बेवा बजरंगा हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज है । नकल नामान्तरकरण जो कि एक फिसकल प्रकिया है उससे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

19. हम वादीगण रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत हैं कि भू–प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकॉर्ड के पूर्व इन्द्राज में फेरबदल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलान्ट नें कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी स्वयं को खातेदारी अधिकार प्राप्त होना कथन किया है जबकि कब्जा मुखालफाना के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

20. नकल नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 24.08.1956 संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या 107 की रकबा 27 बीघा 09 बिस्वा भूमि रूघा, कालू के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति हुई है, उक्त नामान्तरकरण में खसरा नम्बर अंकित नहीं हैं । खाता संख्या 107 का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि नामान्तरकरण संख्या 35 में खसरा नम्बर 364 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 487/2 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा भूमि का ही कुल रकबा अंकित किया होगा । वादी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा होने का कथन करते हुए हक घोषणा का अनुतोष चाहा है ।

21. न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं तथा जिनका विवरण पैरा संख्या 16 में किया गया है । अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया है जिसका विवरण पैरा संख्या 11 में किया गया है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नवीन दस्तावेजों से यह पूर्णतः सिद्ध नहीं होता है कि वादग्रस्त आराजी में से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की कितनी–कितनी भूमि है । पर्चा खतौनी संवत् 2000 में छीतर वल्द घीस्या हिस्सा 1/2 में नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2001 से 2005 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में देव्या व रामरतन पि0 रूघनाथ कौम धाकड शिकमी काश्तकार दर्ज है तथा कॉलम संख्या 16 में रूघा वल्द कालू का नाम दर्ज है । एक अन्य नकल जमाबन्दी संवत् 2001 से 2005 पेश की है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में गोपाल व रामनाथ पिसरान पन्ना कौम धाकड शिकमी काश्तकार दर्ज तथा कॉलम संख्या 16 में रूघा वल्द कालू का नाम दर्ज है । वादी रेस्पोडेन्ट ने भी नकल जमाबन्दी पंचसाला संवत् 2007 लगायत 2012 प्रदर्श– 8 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम फतेहगंज की आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 09 बीघा

12 बिस्वा, खसरा नम्बर 247 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 405 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि रकबा, बजरंगा पिसरान कालू हिस्सा 1/2, छीतर वल्द घीस्या हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज है । वादी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में अपने वाद में सेटलमेंट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किये गये परिवर्तन को आधार मानकर वाद पेश कर कथन किया है कि सेटलमेंट को बिना विधिक प्रकिया के पूर्व प्रविष्टियों परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था । हम वादी रेस्पोडेन्ट के उक्त कथन से पूर्णतः सहमत है सेटलमेंट विभाग को पूर्व इन्द्राज में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के फेरबदल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रतिवादी अपीलान्ट ने ऐसा कोई सुस्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किया गया जा सके ।

22. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध संलग्न दस्तावेजात एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादी रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है जिसे वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर वादी रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री किये जाने योग्य है ।

23. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक तनकी के निष्कर्ष से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

24. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.08.2002 बहाल रखा जाता है ।

25. निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2017/588

1. पनसूरी पत्नी बजरंगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/2. रामदेव पुत्र बजरंगा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/2/1. ओम प्रकाश पुत्र रामदेव ।
   1/2/2. प्रसन्न बाई पत्नी रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/3. गोपी पुत्र बजरंगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम फतेहगंज ।
   1/4. जगदीश पुत्र बजरंगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम फतेहगंज ।
2. सुन्दरा पुत्र रूघा जाति कुम्हार निवासी फतेहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. प्रभू पुत्र छीतर जाति कुम्हार निवासी फतेहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मोहन पुत्र छीतर ।
3. शंकर पुत्र छीतर ।
4. गुलाब बाई पत्नी छीतर ।
5. बादाम बाई पुत्री छीतर ।
6. राज0 सरकार द्वारा जिलाधीश बून्दी ।
7. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.08.2002 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

1. प्रभू पुत्र छीतर जाति कुम्हार निवासी फतेहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मोहन पुत्र छीतर जाति कुम्हार निवासी फतेहगंज ।
3. शंकर पुत्र छीतर जाति कुम्हार निवासी फतेहगंज ।
4. गुलाब बाई पत्नी छीतर जाति कुम्हार निवासी फतेहगंज ।
5. बादाम बाई पुत्री छीतर जाति कुम्हार निवासी फतेहगंज ।

——वादी

बनाम

1. मृतक बजरंगा आत्मज कालू
   - 1/1. पनसूरी पत्नी बजरंगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   - 1/2. रामदेव पुत्र बजरंगा कुम्हार निवासी फतेहगंज ।
   - 1/3. गोपी पुत्र बजरंगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम फतेहगंज ।
   - 1/4. जगदीश पुत्र बजरंगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम फतेहगंज ।
2. सुन्दरा पुत्र रूघा जाति कुम्हार निवासी फतहगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार नैनवा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.08.2002 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।
2. यह अपील तारीख 31.05.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री भगवती बल्लभ शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.08.2002 बहाल रखा जाता है ।
3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 31.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा